


# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्र	फर्द अहकाम	
	<p>मु० न० ७/१८ ता० वी० सं० २५-१-१८</p> <p>पुर्णिका पत्र भरुथायी निषेधाज्ञा</p> <p>उपपत्र - १. भारुथी पुत्र मूल्या जालि          मीना निवासी - मोहनपुरा          तहसील - टोडाभीम - जिला          कर्कोली - राजस्थान</p> <p>बनाम (पुर्णीका)</p> <p>मूल्याराम पुत्र रामदेव मीना निवासी          मोहनपुरा तह० टोडाभीम जिला          कर्कोली राजस्थान          (उपपुर्णीका)</p>	
१-१८	<p>पुर्णीका और से ही सि० ज० म० र० म०          डाउकेकेट ने पुर्णिका पत्र भरुथायी          निषेधाज्ञा पेश केया। भावलोकन          केया पुर्णिका पत्र भरुथायी निषेधाज्ञा          डाउ कलेक्टर हो समन उपपुर्णीका          को जारी हो दिनांक ०-२-१८ को पेश          हो।</p> <p>          उपजिला कलक्टर          टोडाभीम (कर्कोली)</p>	<p>522-84          29-1-18</p>

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
8-2-18	<p>प्रार्थी वकील उपो/ प्रतिवादी नं. 1 जे जोरिसु जाल वरि  <del>इन्काफि</del> / प्रतिवादी नं. 2 के भाई ने जोरिसु जाला                      प्रतिवादी नं. 4, 8 के जोरिसु तापील हो चुके छी जे                      इन्काफे से कोर्ट भी उपस्थित नही छी इन्काफे के                      एक पक्षीय कार्यवाही भी जाली छी शेष जोरिसु वार                      तापील जावन छी <del>इन्काफे</del> तापील दि. 13.2.18                      को पेश हो।</p>
13.2.18	<u>अपकाश</u>
14.2.18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 6, 7 को तापील हो चुके                      हो बावजूद सुपना उपस्थित नही। प्रार्थी इन्काफे के पक्षीय                      कार्यवाही जाला में लायी जाती है। प्रार्थी वकील 3, 5                      के पुन। तलवाना पेश करे। पेश तलवी दिनांक 28.2.18 को                      पेश हो।</p>
28.2.18	<p>प्रार्थी वकील उपो/ तलवाना पेश करे दि. 22.3.18 को                      पेश हो।</p>
22.3.18	<p>प्रार्थी वकील / तलवी को तलवाना पेश करे।                      को तलवी दि. 18.4.18 को पेश हो।</p>
18.4.18	<p>प्रार्थी वकील उपो/ गतामुशर दि. 26.4.18 को पेश हो।</p>
26.4.18	<p>वकलाय उपस्थित/पीदासन अधिकारी करी छी                      मीठो मे है। अतः पत्रवाली गतामुशर के                      दिनांक - 14.6.18 को पेश हो।</p>

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
4-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर... में पेश हुई। आईन्दा दिनांक... को पेश हो
17-7-18	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 14-8-18 को पेश हो।
14-8-18	उपस्थित वकील उपो/ अर्थात् नं. 3, 5 के रजि. नं. 10 नोटिस तलबता तीन दिवस में पेश करें। तलबी हेतु दि. 6-9-18 को पेश हो।  उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करोली)
6-9-18	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 4-10-18 को पेश हो।  उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करोली)
11/18	जनरल पेशी से पेश हुई। वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी सुनाय प्रमाण पत्र है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 15-1-19 को पेश हो।
15-1-19	वादी वकील उपो/ वादी वकील को अर्थात् नं. 3, 5 की तलबी करने के लिए शर्त में पत्रावली लगव न दिया गया है। एक अंगलिफ रूप से 7 दिन में रजि. नं. 10 नोटिस तलबाना पेश करने का लगव दिया जाता है। अतः आगे लगव नहीं दिया जावेगा। वाद्वि तलबी दि. 30-1-19 को पेश हो।
30-1-19	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वकील उपो/ नं. 10 का आवाज दिलवाई गई। भी उपस्थित वकील उपो/ के उपस्थित नहीं। हमें से यह प्रार्थना फा. 7-9. अदम हजारी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुद्ध होकर नवंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम (करोली)